प्रेमचन्द जैन बजाज चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित
(श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट के अन्तर्गत)
आचार्य धरसेन दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय
केशवरायपाटन रोड गिरधरपुरा कोटा(राज.)
पता – बजाज पैलेस,नगरपरिषद कालोनी छावनी,कोटा–324007(राज.)
फोन – 9785643203, 9636944499, 8739859127
E-mail- mumukshuashram@gmail.com
Website : www.mumukshuaashram.com

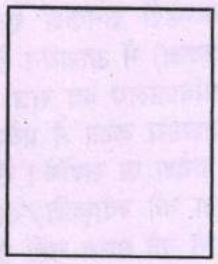

प्रवेश प्रार्थना पत्र

(नोट :– प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिये। सभी–सही व पूरी होनी चाहिये।)

कक्षा..... सत्र.....

नाम छात्र..... पिता का नाम श्री..... स्थान.....

आयु..... जन्म तिथि..... पिता या संरक्षक की आजीविका (व्यापार)..... मासिक आय.....

परिवार में कितने व्यक्ति हैं ?..... भाई..... बहिन..... अन्य.....

कभी आपको कोई बड़ी बीमारी हुई हो या अभी हो तो विवरण दें.....

मातृभाषा..... कोई अन्य भाषा जिसका ज्ञान हों.....

विद्यालय का नाम जहाँ से अन्तिम परीक्षा (दसवीं) उत्तीर्ण की है.....

बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम.....

अंतिम परीक्षा के लिये हुए विषय 1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6.....परिणाम.....प्रतिशत.....

धार्मिक परीक्षा दी हो तो उसका विवरण दें (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....

रूचियाँ/अन्य योग्यता.....आधार नं.....

पिता या संरक्षक द्वारा भरा जाये

यह छात्र रिश्ते में मेरा..... है।

मै स्वेच्छा से इस छात्र को प्रवेश दिलाना चाहता हूँ तथा प्रमाणित करता हूँ कि छात्र का उपर्युक्त लिखना सही है। यह संस्था के वर्तमान नियमों, समय–समय पर बनने वाले अन्य नियमों, सूचनाओं और अनुशासन का बराबर पालन करेगा तथा विरूद्ध चलने पर अधिकारियों द्वारा दिया हुआ दण्ड मान्य करेगा। छात्र की सभी गतिविधियों के लिए मै जिम्मेदार रहुँगा।

नाम व पूरा पता – (जिस पर पत्र व्यवहार किया जायेगा)..... हस्ताक्षर (पिता या संरक्षक)

..... दिनांक.....

पिनकोड..... फोन नं. (घर)..... मोबाईल नं.....

छात्र के निवास स्थान के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का प्रमाणीकरण

हम प्रमाणित करते हैं कि छात्र और उसके पिता या संरक्षक ने जो ऊपर लिखा है वह सही है। छात्र विद्यालय और छात्रावास में प्रविष्ट होने योग्य

नाम..... नाम.....

पता..... पता.....

....

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

प्रवेश सम्बन्धी योग्यता एवं आवश्यक नियम

1. विद्यालय एवं छात्रावास में माध्यामिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर (राजस्थान) के जैनदर्शन सहित उपाध्याय पाठ्यक्रम (हायर सैकण्डरी समकक्ष एवं राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के जैनदर्शन शास्त्री पाठ्यक्रम (त्रिवर्षीय स्नातक बी.ए. समकक्ष) में अध्ययन हेतु दिगम्बर जैनधर्म में श्रद्धा रखने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जाता है।
2. महाविद्यालय का सत्र जून के अन्तिम सप्ताह से आरम्भ होता है।
3. उपाध्याय कक्षा में प्रवेश हेतु सैकण्डरी (10 वी बोर्ड) या उसके समकक्ष या उच्च परीक्षा पास 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र ही प्रवेश पा सकेंगे। सैकण्डरी परीक्षा में सम्पूर्ण विषय सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
4. प्रवेश की स्वीकृति/अस्वीकृति की सूचना छात्र को जून–द्वितीय सप्ताह तक भेजी जावेगी। संस्था अस्वीकृति का कारण बताने को बाध्य नहीं है।
5. छात्र को विद्यालय द्वारा निर्दिष्ट दिनचर्या का पालन करना व उक्त पाठयक्रम के साथ विद्यालय द्वारा निर्धारित धार्मिक पाठ्यक्रम पढ़ना अनिवार्य है।
6. छात्र को प्रतिदिन देवदर्शन करने,छना हुआ पानी पीने, रात्रि भोजन–धूम्रपान नहीं करने, गुटखा तथा अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाने का नियम रखना होगा।
7. छात्र को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर ही रहना आवश्यक होगा। अपनी इच्छा से स्थान परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा, छात्र अपने कमरे में धार्मिक वातावरण रखेंगे, अपने कमरे व उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखेंगे व बाथरूम आदि मे गंदगी नहीं करेंगें।
8. छात्र अपने अतिथि को पूर्व स्वीकृति प्राप्त करके ही निर्दिष्ट स्थान पर ठहरा सकेंगे।
9. प्रत्येक कमरे में छात्र द्वारा ट्यूब लाईट एवं पंखे के अलावा हीटर, सिगड़ी, रेडियो, टेप मोबाईल (टच स्क्रीन) आदि का प्रयोग करना दण्डनीय अपराध होगा।
10. कोई भी छात्र नकदी या अन्य जोखिम अपने पास नहीं रखेगा, अन्यथा खो जाने पर उसकी स्वयं की ही जिम्मेदारी होगी। नगदी आदि कार्यालय मे जमा कराके रसीद प्राप्त कर लेना चाहिए।
11. धार्मिक अध्ययन से प्रत्यक्ष में उपेक्षा दिखाने वाले, बिना पर्याप्त कारण के परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले या अनुत्तीर्ण रहने वाले, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल छात्रावास से निष्कासित किया जा सकेगा। वार्षिक परीक्षा में पास न होने वालों को सामान्यतः अगले वर्ष छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस बारे में विद्यालय एवं छात्रावास अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा व उसके लिए अपने निर्णय का कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
12. किसी भी कारण से छात्रावास से बाहर जाने हेतु संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। सत्र के बीच में अवकाश पर जाने के लिए प्रार्थना–पत्र देकर तीन दिन पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ग्रीष्मावकाश में कोई भी छात्र बिना अनुमति छात्रावास में नही रह सकेगा।
13. छात्रावास के बाहर छात्र के साथ घटित किसी भी घटना–दुर्घटना के लिये तथा छात्र द्वारा किये गये कृत्य के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा, महाविद्यालय की किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगा।

मैने विद्यालय एवं छात्रावास के प्रवेश संबंधी नियमों को पढ़कर समझ लिया है। मैं उनकी तथा समय–समय पर संशोधित, परिवर्द्धित, परिवर्तित नियमों व अन्य दी गई सूचनाओं का पूर्ण रीति से पालन करूँगा, यदि इसके विरूद्ध चलूँ या अनुशासन भंग करूँ या संस्था के हित में बाधक समझा जाऊँ या परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहूँ तो मुझे संस्था से पृथक् करने तक का दण्ड दिया सकता है, वह मुझे बिना आपत्ति किये मान्य होगा। मुझे विद्यालय एवं छात्रावास में प्रवेश दिया जाये।

उपर्युक्त नियम हमें पूर्ण मान्य हैं।

हस्ताक्षर छात्र..... हस्ताक्षर पिता/संरक्षक.....

प्रवेश प्रक्रिया

प्रवेश प्रार्थना–पत्र छात्र स्वयं भरकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा (दसवी) तथा यदि उपलब्ध न हो तो नौवी की अंकसूची की सत्ययापित प्रतिलिपि सहित 30 अप्रैल तक कोटा कार्यालय में भेजें, तत्पश्चात् प्रशिक्षण–शिविर में प्रत्यक्ष उपस्थित होकर जमा करा सकते हैं।

छात्रों को पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयोजित शिविर में प्रशिक्षण एंव साक्षात्कार (इन्टरव्यू) के लिए पूरे दिन उपस्थित रहना आवश्यक है। इस वर्ष यह शिविर..... में आयोजित होगा।

प्रशिक्षण शिविर के दौरान ही छात्र के परीक्षाफल का प्रतिशत, प्रतिभा, चाल–चलन, धार्मिक रूचि व साक्षात्कार के आधार पर विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र का चयन किया जायेगा।

प्रवेश प्राप्ति की सूचना मिलने पर निर्दिष्ट तिथि को कोटा आना अनिवार्य है।